



## ECGC तथा NEIA में पूंजी नविश को मंत्रमिंडल की मंजूरी

### संदर्भ

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रमिंडलीय समिति द्वारा छोटे नरियातकों की मदद के उद्देश्य से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC) तथा राष्ट्रीय नरियात बीमा खाता ट्रस्ट (NEIA) को मंजूरी देने के लिये क्रमशः 2,000 करोड़ रुपए 1,040 करोड़ रुपए की नधि को मंजूरी दी गई है। ये पूंजी नविश 3 वित्त वर्षों (2017-18, 2018-19 तथा 2019-20) के दौरान किये जाएंगे।

### ECGC के लिये पूंजी नविश का आवंटन

- वित्त वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ रुपए
- वित्त वर्ष 2018-19 में 1,450 करोड़ रुपए
- वित्त वर्ष 2019-20 में 500 करोड़ रुपए

### NEIA के लिये पूंजी नविश का आवंटन

- वर्ष 2017-18 के लिये NEIA को 440 करोड़ रुपए की रकम पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
- वर्ष 2018-19 और 2019-20 में प्रत्येक वर्ष के लिये NEIA को 300 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
- इस नधि से NEIA रणनीतिक एवं राष्ट्रीय महत्त्व की नरियात परियोजनाओं को मदद देने में समर्थ होगा।

### ECGC को पूंजी नविश से होने वाले लाभ

- इस पूंजी नविश से MSME क्षेत्र में नरियात के लिये बीमा कवरेज में सुधार होगा और अफ्रीका, कामनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (Commonwealth Independent States-CIS) तथा लैटिन अमेरिकी देशों के उभरते एवं चुनौतीपूर्ण बाजारों में भारत के नरियात को मंजूरी मिलेगी।
- इस नविश से पूंजी अनुपात के मुकाबले ECGC की बट्टेखाते में डालने की क्षमता व जोखिम में उल्लेखनीय सुधार होगा।
- बट्टेखाते (Bad Debt Account) में डालने की मंजूरी होने से ECGC नए एवं उभरते बाजारों में भारतीय नरियातकों को मदद देने के लिये बेहतर स्थिति में होगी।
- अधिक पूंजी नविश से ECGC को अपने उत्पाद पोर्ट फोलियो में विविधता लाने और नरियातकों को सस्ता बीमा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिससे वे चुनौतीपूर्ण बाजारों में भी स्वयं को स्थापित करने में समर्थ होंगे।

### ECGC के तहत बीमा कवर से लाभ

- ECGC के तहत बीमा कवर से भारतीय नरियातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।
- ECGC के तहत बीमा कवर से लाभान्वित होने वाले 85 फीसदी से अधिक ग्राहक MSME के हैं। ECGC विश्व के करीब दो सौ देशों के लिये नरियात बीमा मुहैया कराती है।

### सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु 2 अक्टूबर, 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED Act), 2006 वनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत MSMEs को नमिनलखिति दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

- वनिरिमाण क्षेत्र के उद्यम- इसमें उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी (Plant & Machinery) में किये गए नविश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

उद्यम का प्रकार	संयंत्र एवं मशीनरी में किये गए नविश (रुपए में)
सूक्ष्म (Micro)	25 लाख तक
लघु (Small)	25 लाख से अधिक कति 5 करोड़ से कम

- सेवा क्षेत्र के उद्यम- सेवाएँ प्रदान करने में लगे उद्यमों को उपकरणों (Equipment) में नविश के संदर्भ में परभाषति किया जाता है।

उद्यम का प्रकार	उपकरणों में कति गया नविश (रुपए में)
सूक्ष्म (Micro)	10 लाख तक
लघु (Small)	10 लाख से अधिक कति 2 करोड़ से कम
मध्यम (Medium)	2 करोड़ से अधिक कति 5 करोड़ से कम

### एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC)

- ECGC भारत से नरियात को बढ़ावा देने के लिये नरियात ऋण बीमा सेवा मुहैया कराने वाली भारत सरकार की प्रमुख नरियात ऋण एजेंसी है।
- ऋण पर नरियात करने के जोखिम को कवर कर नरियात संवर्द्धन अभियान को मज़बूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वाणजिय और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC) की स्थापना की गई।
- इसमें नरियातकों को वस्तुओं और सेवाओं के नरियात में होने वाली हानि के बदले ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदाब करने का प्रावधान है तथा यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को गारंटी भी प्रदान करती है जिसमें जसिसे नरियातक उनसे बेहतर सुवधिएँ प्राप्त कर सकें।
- इसका उद्देश्य नमिनलखिति के लिये बीमा कवर प्रदान करना है-

- ◆ नरियातकों को राजनैतिक और वाणजियिक जोखिमों के लिये
- ◆ नरियातकों को वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव के लिये
- ◆ बैंकों को उनके द्वारा प्रदत्त नरियात ऋण और गारंटियों के लिये
- ◆ वदिशों में भारतीय नविशकों को राजनैतिक जोखिमों के लिये।

### राष्ट्रीय नरियात बीमा खाता (NEIA)

- राष्ट्रीय नरियात बीमा खाता (NEIA) वाणजिय मंत्रालय द्वारा स्थापति एक ट्रस्ट है। इसका प्रशासन ECGC लिमिटेड के अंतर्गत कति जाता है।
- भारत के परयोजना नरियात को परंपरागत और वकिसशील देशों के नए बाजारों में बढ़ावा देने के लिये NEIA के तहत करेता को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस वतितपोषण कार्यक्रम के तहत संप्रभु वदिशी सरकारों और सरकारी स्वामतिव वाली संस्थाओं को भारतीय माल एवं सेवाओं के आयात के लिये आस्थगति ऋण शर्तों पर मध्यम तथा लंबी अवधि के लिये ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।